**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा**
**पीठासीन अधिकारी– श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.**

| | | |
|---|---|---|
| प्रकरण सं0 – 526 / 2018 / प्रार्थना पत्र | तारीख दायर 01.11.2018 | तारीख फैसला 14.12.2018 |

उनवान

1– दुर्गा पिता बालू चमार निवासी हुकमपुरा तहसील फूलियाकलां
2– बरदीचन्द पिता बालू चमार निवासी हुकमपुरा तहसील फूलियाकलां
3– धनराज पिता बालू चमार ना0बा0 सरप्रस्त माता लादी पत्नि बालू चमार निवासी हुकमपुरा तहसील फूलियाकलां

– प्रार्थीगण

**बनाम**

1– महावीर पिता सुरजकरण कुमावत निवासी हुकमपुरा तह0 फूलियाकलां
2– घीसा पिता देवकरण जाट निवासी हुकमपुरा तह0 फूलियाकलां
3– नाथू पिता उगमा भील निवासी हुकमपुरा तह0 फूलियाकलां
4– छोगा पिता उदा जाट निवासी लोदा का मोहल्ला, फूलियाकलां
5– रतन पिता उगमा जाट निवासी हुकमपुरा तह0 फूलियाकलां
6– रामधन पिता घीसा भील निवासी सणगारी तह0 फूलियाकलां

– विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट**

उपस्थित :– श्रीमती मदीना बानू : अधिवक्ता प्रार्थीगण

**निर्णय**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम हुकमपुरा पटवार हल्का हुकमपुरा तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 153 आ0न0 1652 रकबा 0.34 है0, आ0न0 1653 रकबा 0.10 है0, आ0न0 1654 रकबा 0.69 है0, आ0न0 1655 रकबा 0.09 है0 आ0न0 1656 रकबा 0.02 है0 आराजी कुल किता 05 रकबा 1.24 है0 भूमि स्थित है। पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं0 1 व 6 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है।

अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 14.12.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरूद्व दिनांक 14.12.2018 को एक तरफा कार्यवाही की गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 06 के विरूद्व कोई कार्यवाही नही चाहने से अप्रार्थी संख्या 06 के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम हुकमपुरा पटवार हल्का हुकमपुरा तहसील फूलियाकलां की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 153 आ0न0 1652 रकबा 0.34 है0, आ0न0 1653 रकबा 0.10 है0, आ0न0 1654 रकबा 0.69 है0, आ0न0 1655 रकबा 0.09 है0 आ0न0 1656 रकबा 0.02 है0 आराजी कुल किता 05 रकबा 1.24 है0 के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :–

## आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण 1 लगायत 5 के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम हुकमपुरा पटवार हल्का हुकमपुरा तहसील फूलियाकलां की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 153 आ0न0 1652 रकबा 0.34 है0, आ0न0 1653 रकबा 0.10 है0, आ0न0 1654 रकबा 0.69 है0, आ0न0 1655 रकबा 0.09 है0 आ0न0 1656 रकबा 0.02 है0 आराजी कुल किता 05 रकबा 1.24 है0 की प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 500/– ( अक्षरे पॉच सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे।

निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14.12.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

*(भंवरलाल कांसोटिया)*
*आर0ए0एस0*
*उपखण्ड अधिकारी एवं*
*सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)*

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां जिला–भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

*उपखण्ड अधिकारी एवं*
*सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)*

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां जिला–भीलवाड़ा